उत्तराखण्ड बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010(प्रथम ड्राफ्ट रूल)

अध्याय–1 – प्रारम्भिक

भाग–1:– संक्षिप्त शीर्षक, नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–

1.1.1 यह नियमावली " **उत्तराखण्ड बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010**" कही जायेगी।

1.1.2 इसका प्रसार सम्पूर्ण **उत्तराखण्ड** में होगा।

भाग–2:– परिभाषाएँ–

1.2.1 जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "**अधिनियम**" का तात्पर्य "बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" है।

(ख) "**आँगनबाड़ी**" का तात्पर्य भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत स्थापित आँगनबाड़ी केन्द्र से है।

(ग) "**नियत तिथि**" का तात्पर्य दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से है, जिस तिथि से अधिनियम प्रवृत्त हुआ है।

(घ) "**अध्याय**", "**धारा**" एवं "**अनुसूची**" का तात्पर्य क्रमशः अधिनियम के अध्याय, धारा (की,के) एवं अनुसूची से है।

(ङ) "**बच्चा**" का तात्पर्य 6 से 14 वर्ष के किसी भी बालक या बालिका से है।

(च) "**अपवंचित वर्ग के बच्चे**" का तात्पर्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य सरकार द्वारा घोषित सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer) अनाथ बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जो, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो, ऐसे बच्चे जो किसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हों जिनकी वार्षिक आय रू0 80,000/– से कम हो, एच0आई0वी0+ बच्चे या एच0आई0वी0+ माता –पिता के बच्चे तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) में यथा परिभाषित विकलांग माता–पिता (कोढ़ से ग्रसित व्यक्तियों सहित) जिनकी वार्षिक आय रू0 2.5 लाख से कम हो, के बच्चे से है।

(छ) "**कमजोर वर्ग के बच्चे**" का तात्पर्य बी0पी0एल0 श्रेणी के अभिभावक के बच्चे तथा ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय रू0 60,000/– से कम हो, से है।

(ज) "**सरकार**" का तात्पर्य **उत्तराखण्ड** शासन से है।

(झ) "**राज्यपाल**" का तात्पर्य **उत्तराखण्ड** के राज्यपाल से हैं।

(ञ) "**स्थानीय प्राधिकारी**" का तात्पर्य यथास्थिति उपखण्ड शिक्षाधिकारी/खण्ड शिक्षाधिकारी/अपर जिला शिक्षाधिकारी (बेसिक)/जिला शिक्षाधिकारी से है।

(ट) "**पड़ोस**" का तात्पर्य विद्यालय से एक निर्धारित दूरी के आबादी क्षेत्र से है।

(ठ) "**छात्र संचयी अभिलेख**" का तात्पर्य सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर बच्चे की प्रगति के अभिलेख से है।

(ड) "**विद्यालय मानचित्रण**" का तात्पर्य भौगोलिक दूरी और सामाजिक विभेद को दूर करने के लिए विद्यालय के स्थान के नियोजन से है।

(ढ) "**विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय**" का तात्पर्य केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय, कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय तथा छावनी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय से है।

(ण) "**विशिष्टीकृत मानक**" का तात्पर्य अनुसूची में निर्धारित मानकों से है।

(त) "**राज्य**" का तात्पर्य **उत्तराखण्ड** राज्य से है।

(थ) "**जिला शिक्षा अधिकारी**" का तात्पर्य जनपद स्तरीय शिक्षाधिकारी से है।

(द) **अकादमिक प्राधिकारी** से तात्पर्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड से है।

1.2.2 अन्य समस्त शब्द एवं भाव जो इस नियमावली में प्रयोग किये गये हैं और परिभाषित नहीं हैं, उनका क्रमशः वही तात्पर्य होगा जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है।

अध्याय– 2

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

भाग–1:– बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार–

2.1.1 6–14 वयवर्ग के प्रत्येक बच्चे को निकटवर्ती विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

2.1.2 नियम 2.1.1 के प्रयोजन के लिए, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की शुल्क या प्रभार या व्यय के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ताकि वह अपनी प्रारम्भिक शिक्षा निर्वाध रूप से पूरी कर सके,

परन्तु, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1996 के अनुच्छेद 2 की धारा (i) में यथा परिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त किसी बच्चे को उक्त अधिनियम के अध्याय पाँच के उपबन्धों के अनुसरण में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

भाग–2:– प्रवेश न दिये गये बच्चों या जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष उपबन्ध–

2.2.1 जहाँ 6 वर्ष से अधिक वयवर्ग के किसी बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या उसने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे अपनी आयु संगत समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

परन्तु,, जहाँ किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार किसी कक्षा में प्रत्यक्षतः प्रवेश दिया जाता है, वहाँ उसे अन्य बच्चों के समान स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

परन्तु प्रारम्भिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रविष्ट किया गया कोई बच्चा 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का हकदार होगा।

भाग–3:– विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था–

2.3.1 6 वर्ष से अधिक आयु के कभी विद्यालय न गये अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय प्रबन्धन समिति/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चिन्हित करके पड़ोसी विद्यालय में उनकी आयुसंगत कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा तथा उनके सीखने के स्तर का आंकलन करके आवश्यकतानुसार उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित तरीके से की जायेगी–

(क) विशेष प्रशिक्षण अकादमिक प्राधिकारी/एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विशेष रूप से निर्मित व अनुमोदित प्रशिक्षण पैकेज के आधार पर दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण सभी बच्चों को एक तैयारी

पैकेज के द्वारा शिक्षा पाने के लिए तैयार करेगा। तैयारी पैकेज में बच्चों की अवधारणाओं का निर्माण, विषयवस्तु का अभ्यास, विषय वस्तु द्वारा अवधारणाओं का पुर्नबलन तथा नियमित आंकलन पर आधारित होगा। आंकलन के साथ ही प्रत्येक कमी व कठिनाई को दूर करते हुए बच्चे का सीखना सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) विशेष प्रशिक्षण, विद्यालय परिसर में कक्षाएँ संचालित करके अथवा आवश्यकतानुसार सुरक्षित आवासीय व्यवस्था करके प्रदान किया जाएगा।

(ग) विशेष प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों या इस प्रयोजन हेतु विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा।

(घ) विशेष प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 3 माह होगी, जिसमें सीखने की प्रगति (लर्निंग प्रोग्रेस) के सावधिक आंकलन के आधार पर वृद्धि की जा सकेगी, परन्तु उक्त वृद्धि के फलस्वरूप प्रशिक्षण की अधिकतम सीमा दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ग) विशेष प्रशिक्षणों के माध्यम से जिन बच्चों को मुख्य धारा में शामिल कराया गया है उनकी नियमित उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति रणनीति निर्मित करेगी। यह उसके विद्यालय विकास योजना का मुख्य अंग होगा, साथ ही राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह बच्चों के ठहराव एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगी।

भाग–4:– अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार–

2.4.1 जिन विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ बच्चे को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण की माँग करने का अधिकार होगा।

2.4.2 जहाँ बच्चे से किसी कारण से, या तो राज्य के भीतर या बाहर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहाँ बच्चे को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण की माँग करने का अधिकार होगा।

2.4.3 ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए, विद्यालय का, जहाँ बच्चे को अन्तिम बार प्रवेश दिया गया था, प्रधानाध्यापक या प्रभारी शिक्षक तत्काल स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा, परन्तु, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश हेतु देरी करने या मना करने का अधिकार दूसरे विद्यालय को नहीं होगा।

2.4.4 स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र को जारी करने में विलम्ब करने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी शिक्षक के विरूद्ध सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

भाग–5:– प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करना–

2.5.1 विद्यालय में सामान्य, कमजोर व अपवंचित वर्ग के बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए बाध्य करने वाले भेद–भाव पूर्ण व्यवहार से मुक्ति पाने का अधिकार है ताकि उनकी प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

2.5.2 सभी बच्चों को निर्धारित मानदण्डों एवं मानकों के अनुरूप समान गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा पाने का अधिकार है।

2.5.3 किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति पाने का अधिकार है।

अध्याय– 3

समुचित/राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता–पिता के कर्त्तव्य/दायित्व

भाग–1:– समुचित/राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य–

3.1.1 राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले विद्यालयों के लिये पड़ोस का क्षेत्र एवं सीमा निम्नवत होगी–

(क) प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 05) की स्थापना ऐसे सभी सेवित क्षेत्र जहाँ 6–14 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या कम से कम 20 हो, 1 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत की जाएगी।

(ख) उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6–8) की स्थापना किसी सेवित क्षेत्र के 3 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत की जाएगी।

3.1.2.(क) राज्य सरकार आवश्यकतानुसार प्राथमिक विद्यालयों को प्रारंभिक विद्यालयों में उत्क्रमित कर सकेगी।

(ख) उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में 6–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के आधार पर एक से अधिक विद्यालय की स्थापना पर शिक्षा की पहुँच हेतु राज्य सरकार द्वारा अनिवार्यतः विचार किया जाएगा।

(ग) जिन स्थानों पर उपरोक्त 3.1.2 (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है, के संबंध में राज्य सरकार उपयुक्त व्यवस्था करेगी यथा आवासीय व्यवस्था, यातायात की सुविधा इत्यादि।

(घ) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी (बी0ई0ओ0/एस0एम0सी0) अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी सेवित क्षेत्रों के लिये पड़ोसी विद्यालयों जहाँ बच्चे सुगमतापूर्वक नामांकित हो सकेंगे, को चिह्नित करेगा तथा इस आशय की सूचना उस सेवित क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले जनसाधारण को उपलब्ध करायेगा।

(ङ) निःशक्त बच्चों के मामलों में जहाँ निःशक्तता उन्हें विद्यालय पहुँचने में व्यवधान उत्पन्न करती है। राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी उनके लिये उपयुक्त एवं सुरक्षित यातायात का प्रबंध करेगी ताकि वे विद्यालय पहुँच कर अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर सकें।

(च) कठिन धरातलीय प्रकृति वाले क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित, सड़क विहीन क्षेत्र, भूस्खलन/भूकम्प से प्रभावित क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिसमें छात्रों को विद्यालय पहुँचने में खतरा हो, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी इन कठिनाइयों एवं इस प्रकार के खतरों को दूर करते हुए विद्यालयों की स्थापना करेगी।

(छ) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में बच्चों की पहुँच/नामांकन, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से बाधित न हो।

3.1.3 अधिनियम की **धारा 8(c)** एवं **धारा 9(c)** के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कमजोर वर्ग का बच्चा और वंचित समूह का बच्चा, मध्याह्न भोजन के दौरान, खेल के मैदान में, पानी पीने के समय, शौचालय के उपयोग, कक्षा–कक्ष एवं साफ– सफाई के दौरान किसी भी प्रकार के भेद–भाव का शिकार न हो।

3.1.4 राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में किसी बच्चे के साथ जाति/वर्ग/धर्म या लिंग के आधार पर भेद–भाव न हो।

3.1.5 अधिनियम की धारा 9 (g) के अन्तर्गत राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक विद्यालय के सेवित क्षेत्र के मानचित्रण के आधार पर विद्यालय से बाहर रह गये एवं शाला त्यागी बच्चों की पहचान, वर्गीकरण एवं उनकी प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु रणनीति का निर्माण करेगी, जिसके तहत–

(क) विद्यालय प्रबन्धन समिति के निर्णयों/संस्तुतियों के आधार पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।

(ख) विशेष प्रशिक्षणों के माध्यम से मुख्य धारा में शामिल हुए बच्चों के ठहराव एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।

(ग) विद्यालय से बाहर रह गये/शाला त्यागी बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए निर्मित रणनीति का व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी ताकि निहित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

(घ) विशेष प्रशिक्षणों के दौरान बच्चों के अकादमिक अभिलेखों का सन्धारण किया जाएगा ताकि मुख्य धारा में शामिल होने के बाद इन बच्चों की विषयवार अपेक्षित सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्य किया जा सके।

(ङ) विशेष प्रशिक्षणों हेतु नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं नियमित स्थलीय अनुसमर्थन किया जाएगा।

3.1.6 राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक विद्यालय के सेवित क्षेत्र के मानचित्रण के आधार पर प्रवासी परिवार के लक्ष्य समूह के बच्चों की पहचान कर उनकी प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करने की रणनीति बनायेगा तथा उसे लागू करेगा।

भाग–2– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व/कर्त्तव्य–

3.2.1 बच्चों की अधिगम सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व–

(क) राज्य के समस्त विद्यालयों में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार/अकादमिक प्राधिकारी (एस0सी0ई0आर0टी0) का दायित्व होगा। इसके लिए राज्य सरकार सम्पूर्ण विद्यालयी क्रियाकलापों, शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक सम्प्राप्ति व अन्य गतिविधियों हेतु

मानक व मानदण्ड निर्धारित करेगी। ये मानदण्ड बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति, अन्य गतिविधियों में सम्प्राप्ति, शिक्षकों तथा विद्यालयों के लिए भी निर्धारित व प्रसारित किये जाएंगे।

(ख) बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व समस्त शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक का होगा। इनकी सतत् प्रगति सुनिश्चित करना तथा इनका अभिलेख रखना भी इन्ही का उत्तरदायित्व होगा। मानक एवं सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने व इनके मध्य के अन्तर को दूर करने का दायित्व संकुल समन्वयक तथा विकासखण्ड संसाधन समन्वयक का होगा।

(ग) भौतिक संसाधनों की आवश्यकता व कमियों की सूचना रखना उपखण्ड शिक्षाधिकारी, खण्ड शिक्षाधिकारी/स्थानीय प्राधिकारी का दायित्व होगा। इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व भी उपरोक्त का होगा।

3.2.2 बच्चों की अधिगम सम्प्राप्ति के अनुश्रवण का उत्तरदायित्व–

(क) विद्यालय के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाध्यापक, कक्षाध्यापक/विषय अध्यापक का होगा।

(ख) प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे की सम्प्राप्ति स्तर के अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संकुल समन्वयक व विकासखण्ड समन्वयक के साथ ही उपखण्ड शिक्षाधिकारी, खण्ड शिक्षाधिकारी व जिला शिक्षाधिकारी का होगा। अनुश्रवण हेतु प्रतिमाह कार्ययोजना निर्मित करने का उत्तरदायित्व उपखण्ड शिक्षाधिकारी का होगा। योजना इस प्रकार बनायी जाएगी कि प्रत्येक विद्यालय में एक अनुश्रवण कर्त्ता अवश्य पहुँचे।

(ग) सभी राजकीय, सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सम्प्राप्ति स्तर के आंकलन हेतु न्यूनतम 5 प्रतिशत विद्यालयों का मूल्यांकन एस0सी0ई0आर0टी0 व बाह्य संस्था द्वारा कराया जाएगा और उनके द्वारा राज्य की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्बन्ध में वार्षिक आख्या प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) प्रस्तुत की गयी वार्षिक आख्या के आधार पर उन बच्चों के लिए जो निर्धारित मानदण्ड प्राप्त नहीं कर पाये हैं, राज्य/एस0सी0ई0आर0टी0 प्रत्येक कक्षा/स्तर व प्रत्येक विषय के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

3.2.3 विद्यालय, शिक्षक व बच्चों के आंकलन/मूल्यांकन की व्यवस्था–

(क) प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के मूल्यांकन/आंकलन का उत्तरदायित्व स्वयं शिक्षक का होगा। यह आंकलन सतत् एवं व्यापक होगा। प्रत्येक आंकलन के साथ ही अधिगम में पिछड़ गये बच्चों की सम्प्राप्ति सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व भी शिक्षकों का ही होगा।

(ख) शिक्षकों के स्तर के आंकलन हेतु मानदण्डों के निर्धारण का उत्तरदायित्व राज्य/एस0सी0ई0आर0टी0 का होगा। इन मानदण्डों के आधार पर आंकलन का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक, संकुल व ब्लॉक समन्वयक तथा उपखण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा।

(ग) विद्यालयों के शैक्षिक अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संकुल समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक व उपखण्ड शिक्षाधिकारी, खण्ड शिक्षाधिकारी व जिला शिक्षाधिकारी का होगा। इसके लिए राज्य को पाँच बिन्दु स्केल पर गुणवत्ता मापनी बनानी होगी। इसका उत्तरदायित्व अकादमिक प्राधिकारी/एस0सी0ई0आर0टी0 का होगा।

(घ) विद्यालय गुणवत्ता में कम पाये जा रहे विद्यालयों की गुणवत्ता संवर्द्धन का उत्तरदायित्व संकुल समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक व उपखण्ड शिक्षाधिकारी का होगा। इसके लिए ये विद्यालय प्रबन्धन समिति के प्रति भी उत्तरदायी होंगे।

3.2.4 विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था का उत्तरदायित्व–

(क) प्रत्येक स्तर पर अधिगम सम्प्राप्ति में पिछड़ रहे बच्चों, विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों, निर्धारित समयावधि के बाद प्रविष्ट बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण राज्य/अकादमिक प्राधिकारी (एस0सी0ई0आर0टी0) द्वारा किया जाएगा।

(ख) विशेष प्रशिक्षण, विद्यालय परिसर में कक्षाएँ संचालित करके अथवा आवश्यकतानुसार सुरक्षित आवासीय व्यवस्था करके प्रदान किया जाएगा।

(ग) यह प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत अध्यापक अथवा इस प्रयोजन हेतु विशेष रूप से नियुक्त शिक्षक द्वारा दिया जाएगा।

(घ) विशेष प्रशिक्षण द्वारा नामांकित बच्चों की निरन्तर शैक्षिक प्रगति के अनुश्रवण का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक, संकुल समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक तथा उपखण्ड शिक्षाधिकारी का होगा। सम्बन्धित अधिकारी ही इन बच्चों का अभिलेख रखेंगे तथा खण्ड शिक्षाधिकारी व जिला शिक्षाधिकारी को सूचित करेंगे।

3.2.5 शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन का उत्तरदायित्व–

(क) राज्य/अकादमिक प्राधिकारी (एस0सी0ई0आर0टी0) शिक्षकों के सेवा पूर्व व सेवारत प्रशिक्षण (पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम निर्माण) के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) सेवा पूर्व शिक्षा–प्रशिक्षण की पाठ्यचर्या को प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रारम्भिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के अनुसार पुर्नगठित/अद्यतनीकरण करने का उत्तरदायित्व भी अकादमिक प्राधिकारी (एस0सी0ई0आर0टी0) का होगा। साथ ही ऐसे संस्थान जो एन0सी0टी0ई0 के मानकों व मानदण्डों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित न कर रहे हों को बन्द कराने हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 की संस्तुति पर शिक्षा निदेशालय कार्यवाही करेगा।

(ग) राज्य/ अकादमिक प्राधिकारी (एस0सी0ई0आर0टी0) समस्त शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बाह्य आंकलन करायेगा और इन आंकलन अध्ययनों के सुझावों के आधार पर इन कार्यक्रमों का पुर्नगठन करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(घ) अकादमिक संदर्भ व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य में एस0सी0ई0आर0टी0, डायट, ब्लॉक संसाधन केन्द्र व संकुल संसाधन केन्द्रों के लिए अलग अकादमिक काडर दो वर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

(ङ) इस प्रकार के काडर में चयनित संदर्भ व्यक्तियों को माह में कम से कम सात दिन (तीन दिन सुगम तथा चार दिन दुर्गम) विद्यालयों में व्यतीत करना अनिवार्य होगा। ताकि वे उन विद्यालयों की अकादमिक समस्याओं को समझ सकें और उन्हें अकादमिक परामर्श दे सकें।

3.2.6 अनुश्रवण प्रक्रिया का सुदृढीकरण– बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अकादमिक अनुश्रवण की सुदृढ़ व्यवस्था की जाएगी। अकादमिक अनुश्रवण हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक, संकुल समन्वयक, ब्लॉक संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा उपखण्ड शिक्षाधिकारी व खण्ड शिक्षाधिकारी उत्तरदायी होंगे–

(क) प्रधानाध्यापक/अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षिक सम्प्राप्ति के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति के प्रति सीधे उत्तरदायी होंगे।

(ख) संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक प्रतिमाह कम से कम 10 विद्यालयों (पाँच सुगम तथा पाँच दुर्गम) का अकादमिक अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन करेंगे तथा इनकी प्रगति का विश्लेषण कर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन समिति के साथ ही खण्ड शिक्षाधिकारी को भी अवगत करायेंगे।

(ग) ब्लॉक संसाधन केन्द्र समन्वयक भी प्रत्येक माह 10 विद्यालयों (पाँच सुगम तथा पाँच दुर्गम) का अकादमिक अनुश्रवण व अनुसमर्थन करेंगे तथा इन विद्यालयों की प्रगति का विश्लेषण कर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन समिति व खण्ड शिक्षाधिकारी को अवगत करायेंगे।

(घ) उपरोक्त **बिन्दु सं0–ख तथा ग** के क्रियान्वयन के आधार पर संकुल एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्र समन्वयक अपने से सम्बन्धित संकुल व विकासखण्ड की वार्षिक अकादमिक योजना बनायेंगे, जो कि जनपद की वार्षिक योजना का हिस्सा होगी। संकुल तथा ब्लॉक समन्वयक इस अकादमिक योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। ब्लॉक स्तरीय योजना बनाने हेतु ब्लॉक समन्वयक के साथ–साथ खण्ड शिक्षाधिकारी भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ङ) खण्ड शिक्षाधिकारी प्रत्येक माह अपने विकासखण्ड के कम से कम पाँच विद्यालयों (तीन दुर्गम तथा दो सुगम) का अकादमिक अनुश्रवण व अनुसमर्थन करेंगे। यह प्रशासनिक/प्रबन्धकीय अनुश्रवण के अतिरिक्त होगा।

(च) जिला शिक्षाधिकारी, अपर जिला शिक्षाधिकारी (बेसिक व माध्यमिक)/जिला परियोजना अधिकारी प्रत्येक माह अपने जनपद के कम से कम तीन विद्यालयों (एक सुगम तथा दो दुर्गम) का अकादमिक अनुश्रवण करेंगे।

(छ) जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में एक अकादमिक अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी। इसमें अकादमिक अनुश्रवण का विश्लेषण कर क्षेत्राधारित प्रति त्रैमास हेतु शैक्षिक योजनाएँ तैयार करायेंगे तथा तद्नुसार कार्य करेंगे।

(ज) राज्य स्तर पर अकादमिक अनुश्रवण व अनुसमर्थन हेतु एक समिति राज्य स्तर पर गठित की जाएगी। यह समिति प्रति त्रैमास में प्राप्त अनुश्रवण विश्लेषण के आधार पर योजना निर्माण करेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु भी यह समिति उत्तरदायी होगी। इस समिति में निदेशालय, एस0सी0ई0आर0टी0, सीमैट, सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं से व्यक्ति नामित किये जाएँगे।

(झ) उक्त अनुश्रवणों के आधार पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक व अध्यापक द्वारा यदि तीन अनुश्रवणों के बाद भी सुधार नहीं किया जाता है तो अकादमिक प्राधिकारी (एस0सी0ई0आर0टी0) द्वारा निदेशक विद्यालयी शिक्षा को सम्बन्धित की सम्बन्धित वर्ष की चरित्र पंजिका में अंकना करने हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।

3.2.7 अधिगम सामग्री की उपलब्धता–

(क) राज्य सरकार सभी बच्चों के लिए निम्नांकित अधिगम सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

- प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें, लेखन सामग्री व बस्ता।
- प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क गणवेश।
- प्रत्येक विद्यालय हेतु एक बाल पुस्तकालय।
- अन्य अधिगम सामग्री जैसे– मानचित्र, ग्लोब, विज्ञान व गणित के उपकरण, कला सामग्री, खेल सामग्री, संगीत सामग्री।
- विषयवार बाल सुलभ संदर्भ सामग्रियाँ ताकि बच्चों की विविध ग्राह्य क्षमता के अनुरूप शिक्षण विधियाँ निष्पादित की जा सकें।

(ख) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी विद्यालयों के लिये निःशुल्क शिक्षण अधिगम उपकरणों यथा– बच्चों/शिक्षकों के बैठने हेतु दरी/बैंच–डेस्क, विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षक संदर्भ सामग्रियाँ, इत्यादि की व्यवस्था करेगी ताकि सर्व सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

भाग–3– राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य– अनुच्छेद 2 की धारा (एन) की उपधारा (i) में संदर्भित राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे–

3.3.1 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें जैसे– छात्रवृत्ति, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, स्कूल बैग, लेखन सामग्री आदि और अन्य सामग्री जो समय–समय पर दी जाती हो, के हकदार होंगे। यह सुविधा उन 25 प्रतिशत कोटाधारी बच्चों के लिए भी देय होगी जो निजी विद्यालयों में प्रवेश लिये हों। ऐसे बच्चे उन सभी सुविधाओं के हकदार होंगे जो निजी संस्थान द्वारा अपने बच्चों को दी जा रही हो।

3.3.2 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बच्चों के विद्यालय प्रवेश हेतु एक "Calender of Events" जारी किया जायेगा जो इन नियमों को उद्धृत कर रहा हो, जो कोई विद्यालय इन नियमों का उल्लंघन करता पकड़ा गया अथवा प्रवेश प्रक्रिया को नियमों के विपरीत करता पाया जाता है। उसे Black list किया जायेगा अथवा अधिनियम के अनुसार दंडित किया जायेगा।

3.3.3 स्थानीय प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा सभी अपवंचित बच्चों को "पड़ोसी" विद्यालय में प्रवेश हेतु एक समन्वित योजना तैयार करनी होगी। ऐसे सभी विद्यालय (सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, असहायता प्राप्त) जो पड़ोसी विद्यालयों के अन्तर्गत आते हैं, को एक समान प्रवेश प्रक्रिया अपनानी होगी जो अधिनियम के नियमों का पालन करती हो। यदि ऐसे विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र संख्या अधिक होती है तो राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी की देख–रेख में "लॉटरी" विधि अपनायी जायेगी।

3.3.4 कोई भी विद्यालय किसी भी अभिभावक के निवेदन पर "स्थानान्तरण पत्र" देने की देरी अथवा मना नहीं कर सकेगा।

3.3.5 यदि "पड़ोस" के विद्यालय में कोई आंगनवाड़ी केन्द्र न हो तो राज्य सरकार को प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के साथ ही पूर्व प्राथमिक केन्द्र खोलना होगा, ताकि बड़े बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल के लिए विद्यालय न छोड़ सकें।

3.3.6 राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी सामान्य जनता को अधिनियम के नियम एवं प्राविधानों की सम्पूर्ण जानकारी देगा एवं अभिमुखीकरण कार्यशालाएँ आयोजित करेगा।

3.3.7 राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं/संस्थानों की पहचान करेगा तथा उनके प्रोत्साहन हेतु विशेष योजना बनायेगा।

3.3.8 राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी प्रति वर्ष 30 से अधिक छात्र शिक्षक अनुपात वाले विद्यालयों की सूची बनायेगी तथा इसे सार्वजनिक करेगी।

3.3.9 अधिनियम के अनुच्छेद 5 की धारा (1) के अनुसार अनुच्छेद 2 की धारा (n) की उपधारा (iii) तथा (iv) में वर्णित विद्यालयों को छोड़कर, स्थानीय प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि शेष विद्यालयों में, जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, में अध्ययनरत बच्चे को उचित

सुविधा प्रदान कर बच्चों का स्थानान्तरण ऐसे विद्यालय में करेगा जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने की सुविधा हो।

3.3.10 बजट प्राप्ति के तुरन्त पश्चात राज्य सरकार प्रति वर्ष "शिक्षा का अधिकार अधिनियम" क्रियान्वयन की स्थिति सार्वजनिक करेगी यह रिपोर्ट निम्न बिन्दुओं पर होगी–

(क) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा "शिक्षा का अधिकार अधिनियम" क्रियान्वयन हेतु अलग–अलग बजट।

(ख) **अधिनियम** को क्रियान्वित करने हेतु बजट की आवश्यकता।

(ग) मूलभूत सुविधाओं की कमी एवं पूर्ण करने की आवश्यकता।

(घ) विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की संख्या/अपवंचित बच्चों की संख्या/विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की संख्या, जिन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित करने की आवश्यकता हो।

(ङ) इन कमियों को पूरा करने हेतु आवश्यक धन की आवश्यकता।

(च) अधिनियम का उल्लंघन करने वालों की संख्या एवं उन पर प्राविधानित दंड की स्थिति तथा लिया गया निर्णय एवं अर्थ दंण्ड।

भाग–4:– बच्चों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव–

3.4.1 अधिनियम के अनुच्छेद 9 की धारा (d) के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत घर–घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बच्चों का जन्म से 14 वर्ष की आयु तक का अभिलेख संधारित करेंगे

3.4.2 इन अभिलेखों का प्रतिवर्ष अद्यतनीकरण पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, ताकि जन– साधारण इसका अवलोकन कर सकें तथा अनुच्छेद 9 की धारा (c) के प्राविधानों के अनुरूप इसका उपयोग किया जा सके।

3.4.3 उपरोक्त अभिलेख में बच्चों के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाओं को सम्मिलित किया जाएगा–

(क) नाम, लिंग, जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म प्रमाण–पत्र संख्या।

(ख) माता–पिता/अभिभावक का नाम, पता, व्यवसाय व शैक्षिक स्थिति।

(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्र का विवरण जहाँ छः वर्ष की आयु तक बच्चा रहा है।

(घ) प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालय का विवरण जहाँ बच्चे ने प्रवेश लिया।

(ङ) बच्चे का वर्तमान पता।

(च) कक्षा जिसमें बच्चा पढ़ रहा हो।

(छ) यदि स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 6–14 वयवर्ग के किसी बच्चे ने शिक्षा अधूरी छोड़ दी है तो उसका कारण सहित विवरण।

(ज) अधिनियम की धारा 2 (d) के अन्तर्गत यदि बच्चा अपवंचित वर्ग का है तो उसका विवरण।

(झ) अधिनियम की धारा 2 (e) के अन्तर्गत यदि बच्चा कमजोर वर्ग का है तो उसका विवरण।

(ञ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्रवजन अथवा कम जनसंख्या के सापेक्ष प्रभावित बच्चे, आयु संगत प्रवेश लेने वाले बच्चे तथा विकलांगता युक्त बच्चे, जिन्हें विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी हैं का विवरण।

3.4.4 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे का नाम विद्यालय द्वारा जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहे।

3.4.5 जिला शिक्षाधिकारी का यह दायित्व होगा कि जन साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध करायी जानी वाली उपरोक्त सूचनाएँ जनपद की वेब साइट पर प्रदर्शित एवं अद्यतन रहें।

भाग–5:– माता पिता के दायित्त्व– अनुच्छेद 10 के प्रयोजनार्थ यह सभी माता–पिता का दायित्व होगा कि वे पड़ोसी विद्यालय में अपने बच्चे या पाल्य को प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता हेतु प्रवेश दिलाए।

अध्याय–4

विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

भाग–1– विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व–

4.1.1 अनुच्छेद 2 की धारा (n)की उपधारा (iii) एवं अनुच्छेद 2 की धारा (n)की उपधारा (iv) में संदर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुच्छेद 12 की धारा (1)की उपधारा (c) के परिप्रेक्ष्य में नामांकित बच्चों को कक्षा में दूसरे बच्चों से अलग नहीं किया जाएगा और इन बच्चों के लिए कक्षा–कक्ष का स्थान एवं समय अन्य बच्चों की कक्षा से अलग नहीं होगा।

4.1.2 अनुच्छेद 2 की धारा (n)की उपधारा (iii) एवं अनुच्छेद 2 की धारा (n)की उपधारा (iv) में संदर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, लेखन सामग्री, गणवेश, बस्ता, पुस्तकालय, आई0सी0टी0 सुविधा, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप तथा खेलकूद के सम्बन्ध में एवं विद्यालय द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुच्छेद 12 की धारा (1) की उपधारा (c) के परिप्रेक्ष्य में नामांकित बच्चों के प्रति कक्षा के अन्य बच्चों से किसी प्रकार का विभेद न किया जाए।

4.1.3 पड़ोसी विद्यालय के सम्बन्ध में **नियम 4.1.1** में निर्दिष्ट क्षेत्र अथवा सीमाएँ अनुच्छेद 12 की धारा(1) की उपधारा (c) के परिप्रेक्ष्य में हुए नामांकन के सम्बन्ध में भी लागू होंगी।

परन्तु, अनुच्छेद 12 की धारा (1) की उपधारा (c) में संदर्भित बच्चों के लिए सीटों का अपेक्षित प्रतिशत भरने के प्रयोजन के लिए विद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ इन सीमाओं को विस्तारित कर सकते हैं।

4.1.4 स्थानीय प्राधिकारी तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति अपने सेवित क्षेत्र में आने वाले अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को चिन्हित करेगा तथा उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवंटित करेगा।

4.1.5 अनुच्छेद 2 की धारा (n) की उपधारा (iii & iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों की प्रवेश की प्रक्रिया निम्नवत होगी–

(क) सर्व प्रथम स्थानीय प्राधिकारी ऐसे बच्चों को चिह्नित कर सूचीबद्ध करेंगे।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी उक्त बच्चों के सेवित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु इन बच्चों का आवंटन सुनिश्चित करेंगे।

(ग) यदि उपरोक्त वर्णित विद्यालयों में निर्धारित प्रतिशत के सापेक्ष अधिक बच्चे पात्र पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अनाथ, निःशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग एवं एच0आई0वी0+ माता–पिता के बच्चे अथवा एच0आई0वी0+ बच्चों को प्राथमिकता देते हुए शेष बच्चों के लिए स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों तथा अभिभावकों की उपस्थिति में एक निश्चित तिथि निर्धारित करते हुए लॉटरी प्रक्रिया अपनायी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष बच्चों का नामांकन

स्थानीय प्राधिकारी उनके सेवित क्षेत्र के सरकारी/सहायता प्राप्त विद्यालयों में अनिवार्यतः करायेंगे।

(घ) स्थानीय प्राधिकारी का दायित्व होगा कि वह अपने सेवित क्षेत्र में चिह्नित अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों की सूची, उनको आवंटित विद्यालयों की सूची तथा प्रवेश हेतु लॉटरी की सूचना सार्वजनिक करेंगे।

4.1.6 अनुच्छेद 2 की धारा (n) की उपधारा (iii & iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में अपवंचित तथा दुर्बल वर्ग के बच्चों को उस कक्षा के छात्र–छात्राओं की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक प्रावधान करेगा।

4.1.7 अनुच्छेद 2 की धारा (n) की उपधारा (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय की उसके द्वारा उपगत व्यय की राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक, इनमें से जो भी कम हो ऐसी स्थिति में जो विहित की जाए प्रतिपूर्ति की जाएगी।

परन्तु, यह प्रतिपूर्ति अनुच्छेद 2 की धारा (n) की उपधारा (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा से ज्यादा नहीं होगी।

परन्तु, यह और कि जहाँ ऐसा विद्यालय, जिसके द्वारा भूमि, भवन, उपकरण या कोई सुविधाएँ या तो निःशुल्क या रियायती दर पर प्राप्त करने के कारण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन है, वहाँ ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

4.1.8 प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी, जो समय–समय पर यथा स्थिति स्थानीय प्राधिकारी/राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध करायेगा।

4.1.9 प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में अपने द्वारा प्रभारित शुल्क का ब्यौरा कक्षावार सार्वजनिक करना होगा।

4.1.10 (क) प्रारम्भिक शिक्षा में प्रवेश हेतु किसी बालक की आयु को जन्म–मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार जारी जन्म प्रमाण–पत्र अथवा ऐसे दस्तावेज के आधार पर जो जन्म का साक्ष्य हो, के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रवेश हेतु निम्न में से कोई एक अभिलेख भी मान्य होगा–

- अस्पताल/ए0एन0एम0 का रजिस्टर अभिलेख।
- आंगनवाड़ी का अभिलेख।
- ग्राम पंजिका/परिवार रजिस्टर।
- अभिभावक/माता–पिता द्वारा बच्चे की आयु के सम्बन्ध में दिया गया घोषण पत्र।

4.1.11 विद्यालय के शैक्षिक सत्र आरम्भ होने के तीन माह की अवधि के भीतर अथवा 10 जुलाई तक बच्चे का नामांकन किया जा सकेगा।

किसी बालक को शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में तथा विस्तारित अवधि के भीतर प्रवेश दिया जा सकेगा। परन्तु यदि प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात भी इच्छित है तो ऐसे बच्चे को प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा।

परन्तु विस्तारित अवधि के पश्चात प्रविष्ट किया गया बालक समुचित सरकार/अकादमिक प्राधिकारी द्वारा विकसित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का पात्र होगा।

भाग–2:– विद्यालयों की मान्यता–

4.2.1 राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारित अथवा नियन्त्रित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय की मान्यता हेतु प्रत्येक जनपद में चार सदस्यीय समिति निम्नवत गठित की जाएगी–

1. **जिला शिक्षाअधिकारी– अध्यक्ष।**
2. **अपर जिला शिक्षाधिकारी (बे0/माध्य0)– सदस्य सचिव।**
3. **जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी सदस्य।**
4. **सम्बन्धित विकासखण्ड के विकासखण्ड शिक्षाअधिकारी– सदस्य।**

अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व से स्थापित प्रत्येक विद्यालय अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित स्तर एवं मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में तथा निम्नलिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति की स्थिति के सम्बन्ध में अधिनियम लागू होने के 03 माह की अवधि के अन्दर सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी, जो धारा 18 के अन्तर्गत इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी होगा, के समक्ष इस हेतु निर्धारित **प्रपत्र–1** पर स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करेगाः–

(क) विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 की धारा 21) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।

(ख) विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ हेतु संचालित नहीं हो रहा है।

(ग) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विद्यालय संचालित है।

(घ) विद्यालय भवन या अन्य ढाँचागत सुविधायें या प्रांगण, दिन में या रात में, व्यावसायिक या आवासीय (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवास के उद्देश्य को छोड़कर) उद्देश्यों से अथवा राजनैतिक या किसी प्रकार की गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिये प्रयुक्त नहीं हो रहा है।

(ङ) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कर सकता है।

(च) विद्यालय ऐसे समस्त विवरण एवं सूचनायें उपलब्ध करायेगा जो समय–समय पर स्थानीय प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/शिक्षा निदेशक अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा माँगी जायेगी। साथ ही विद्यालय की कार्य प्रणाली की कमियों को दूर करने अथवा मान्यता की शर्तों की अनवरत् पूर्ति को सुनिश्चित रखने हेतु राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(छ) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 एवं अनुसूची में निहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

(ज) विद्यालय अधिनियम तथा तद्न्तर्गत निर्मित नियमावली के समस्त प्राविधानों का पालन करेगा।

4.2.2 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त प्रत्येक स्वघोषणा पत्र को, प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर वेबसाइट पर प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा।

4.2.3 ऐसे विद्यालय, जिनके द्वारा उक्त निर्धारित प्रपत्र पर भर कर दिये गये स्वघोषणा पत्र में यह दावा किया गया हो कि उनके द्वारा समस्त निर्धारित मानक एवं स्तर तथा उपनियम 4.2.1 में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली गई है, का स्थलीय निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर करा लिया जायेगा।

4.2.4 उपनियम 4.2.3 में उल्लिखित निरीक्षण के पश्चात् विद्यालयों की निरीक्षण आख्या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जनसाधारण के अवलोकनार्थ सार्वजनिक की जायेगी तथा निर्धारित मानक, स्तर एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को निरीक्षण की तिथि के 60 दिन के अन्दर **प्रपत्र–2** पर मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

4.2.5 उप नियम 4.1.1 में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों को जो विद्यालय पूरा नहीं करते हैं उनकी सूची कमियों को उल्लिखित करते हुए एक सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जारी करेंगे तथा उसको वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। ऐसे विद्यालय सूची/आदेश निर्गत होने के दो वर्ष के अन्दर विद्यालय की मान्यता के लिये जिला शिक्षा अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकते है।

4.2.6 जो विद्यालय अधिनियम लागू होने के 03 वर्ष बाद भी उप नियम 4.1.1 में उल्लिखित शर्तों, मानकों एवं प्रतिबन्धों को पूरा नही करते हैं उनका संचालन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

4.2.7 अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारित अथवा नियन्त्रित विद्यालयों को छोड़कर शेष प्रत्येक विद्यालय द्वारा मान्यता के लिए अर्ह होने हेतु उपनियम (1) में उल्लिखित मानकों, स्तर एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।

4.2.8 राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारित अथवा नियन्त्रित विद्यालयों को छोड़कर अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद स्थापित होने वाले शेष समस्त विद्यालयों को उपनियम 4.1.1 में उल्लिखित मानकों, स्तर एवं प्रतिबंधों की पूर्ति के सम्बन्ध में उपनियम 4.1.1 में उल्लिखित प्रपत्र पर स्वघोषणा पत्र विद्यालय के संचालन के पूर्व देना होगा तथा ऐसे विद्यालयों

के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपनियम 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4.2.9 उपरोक्त उपनियम 4.2.8 में उल्लिखित विद्यालय मान्यता आदेश प्राप्त करने के बाद ही विद्यालय का संचालन प्रारम्भ कर सकेगा।

4.2.10 उपनियम 4.2.4 एवं उपनियम 4.2.8 में उल्लिखित प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता पंजीकरण संख्या आवंटित की जायेगी।

4.2.11 प्रत्येक विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को सूचना दी जायेगी, साथ ही मान्यताप्राप्त करने वाले विद्यालय का नाम वेबसाइट पर भी सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।

भाग–3:– विद्यालयों की मान्यता का प्रत्याहरण–

4.3.1 जहाँ समिति के सदस्यों अथवा जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं, या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर अभिलिखित कारणो से संतुष्ट है कि नियम **4.2.11** के अन्तर्गत मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एकाधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तो उसके द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:–

(क) विद्यालय द्वारा मान्यता की जिस शर्त का उल्लंघन किया गया है उसे स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए विद्यालय को एक माह के अन्दर स्पष्टीकरण देने सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा।

(ख) निर्धारित अवधि में यदि विद्यालय का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी सात दिन की अवधि में एक 03 सदस्यीय समिति, जिसमें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ ही एक शिक्षाविद् भी सम्मिलित होगा, के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण तिथि के 20 दिन की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

4.3.2 समिति की आख्या के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विद्यालय को 10 दिन के अन्दर पत्र भेजकर विद्यालय को अपना स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों के आधार पर अपनी संस्तुति राज्य के शिक्षा विभाग को 01 माह की अवधि में भेजेगा। उपनियम 43.1(ख) में उल्लिखित संस्तुति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर उक्त संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार निर्णय लेगी तथा उक्त निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगी।

4.3.4 समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का मुखरित आदेश (स्पीकिंग आर्डर) निर्णय

प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर निर्गत करेगा। मान्यता रद्द होने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालय के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

भाग–4– विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं विद्यालय विकास योजना–

4.4.1 विद्यालय प्रबन्धन समिति– बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 के अनुच्छेद 21 तथा 22 में विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन एवं कार्य तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण जैसा कि प्राविधानित किया गया है तथा योजनागत एवं सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये अन्य अनुदान के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना प्राविधानित है।

4.4.2 विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के उद्देश्य–

(क) बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

(ख) प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित उपलब्धता, नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक उपलब्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना ।

(ग) विद्यालय प्रबंधन में अभिभावकों व शिक्षकों की भागीदारी को सुदृढ़ करना ।

(घ) सरकार व अन्य स्रोंतों से प्राप्त विद्यालय अनुदान, सुविधाओं के उपयोग के निर्णय, कार्यान्वयन व अनुश्रवण हेतु अभिभावक–शिक्षक समुदाय को सशक्त करना ।

(ङ) विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना।

(च) विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए समुदाय में स्कूलों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना।

(छ) बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चों को अवसर की समानता उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करना।

(ज) बच्चों को परिवर्तन अभिकर्त्ता के तौर पर अपेक्षित सामाजिक परिवर्तनों के लिए तैयार करना।

4.4.3– विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना– बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अनुच्छेद 21 में अधिनियम के अनुच्छेद –2 (n) (iv) में उल्लिखित विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य का प्रत्येक विद्यालय एक विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन करेगा जिसमें स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधि, उस विद्यालय में प्रवेश पाये हुए बच्चों के माता पिता तथा शिक्षकों को सम्मिलित किया जायेगा। साथ ही उक्त विद्यालय प्रबन्धन समिति के 3/4 सदस्य अनिवार्य रूप से उस विद्यालय के बच्चों के माता पिता होंगे । उक्त प्रबंधन समिति में यह भी अनिवार्य होगा कि वंचित वर्ग एवं

कमजोर वर्ग के बच्चों के माता पिता को भी न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाय तथा उपरोक्त सभी बातों के होते हुए भी विद्यालय प्रबन्धन समिति के सभी सदस्यों में से 50 प्रतिशत महिलायें होंगी।

अधिनियम के उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावक/संरक्षक और इन स्कूलों में कार्यरत अध्यापक शामिल होंगे। चूंकि शिक्षक, अभिभावक तथा पंचायत/स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि विद्यालय प्रबंधन समिति में शामिल होंगे, इसलिए प्रत्येक विद्यालय के लिए अलग से **ग्रामीण शिक्षा समिति/मातृ/अभिभावक–अध्यापक संघ** का गठन नहीं किया जायेगा तथा वर्तमान में कार्यरत उपरोक्त संगठन नव गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन के उपरान्त कार्य करना बन्द कर देंगे। विद्यालय प्रबन्धन समिति के निम्नलिखित दो मुख्य अंग होगें:–

(क) विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा।

(ख) विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद।

4.4.4 विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा–

(क) विद्यालय प्रबंधन समिति **की आम सभा** में विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावक और इन स्कूलों में कार्यरत अध्यापक शामिल होगें। सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय के स्थानीय वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि आम सभा के पदेन सदस्य होंगे। प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र के समापन के उपरान्त उन अभिभावक सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी जिनके बच्चे विद्यालय से शिक्षा पूर्ण करके विद्यालय छोड़ चुके होंगे तथा विद्यालय में नए दाखिल हुए बच्चों के अभिभावक स्वतः ही विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के सदस्य बन जायेंगे।

(ख) विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने के उपरान्त अपनी पहली बैठक में अभिभावक सदस्यों में से एक अभिभावक को विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिए साधारण बहुमत से निर्वाचित करेगी। इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा। कोई भी अभिभावक दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सकता है परन्तु उसका उस विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र का अभिभावक होना आवश्यक होगा। पंचायत पदाधिकारी/सदस्य विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा का अध्यक्ष उसी अवस्था में निर्वाचित हो सकेगा जबकि वह विद्यालय में अध्ययनरत किसी छात्र का माता/पिता हो। विद्यालय प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव में से एक अनिवार्य रूप से महिला होगी।

(ग) विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें आयोजित कर सकती है। परन्तु वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें आयोजित करना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा की पहली बैठक सभी स्कूलों में शिक्षा सत्र के आरम्भ होने के 15 दिनों के भीतर होगी, दूसरी बैठक 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित होगी तथा तीसरी बैठक शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर परीक्षा परिणाम घोषित होने वाले दिन आयोजित की जायेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा किसी भी समय आवश्यकतानुसार अपनी बैठक बुलाने का निर्णय ले सकती है, जिसके लिए कम से कम दस सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने के लिए सदस्य सचिव को 10 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक होगा।

(घ) विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/वरिष्ठतम शिक्षक विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के पदेन सदस्य सचिव होंगे। वह समिति के बैठकों से संबंधित रिकार्ड का रख–रखाव करेंगे और लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप सुनिश्चित करेंगें।

(ङ) विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा की बैठक में कुल अभिभावकों के कम से कम तीस प्रतिशत अभिभावक उपस्थित होने चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों का खर्च विद्यालय अनुदान अथवा इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोष/मद से वहन किया जाएगा।

(च) विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा समिति का वार्षिक बजट अनुमोदित करेगी तथा पिछले वर्ष में किए गए कार्यो व खर्च की समीक्षा भी करेगी। आम सभा अपनी बैठकों में विचार विमर्श/निर्णयों के लिए किसी भी एजेंडा आईटम को ले सकती है, जो विद्यालय की कार्यप्रणाली सुधारने, विद्यालय की विकास योजना को बनाने, विद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान के उपयोग व अनुश्रवण और पूर्व की बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाने वाले कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित हों।

(छ) विद्यालय प्रबन्धन समिति, लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए आम सभा की सहमति से उपसमितियों का गठन कर सकती है जो पूरी तरह से कार्यकारी परिषद एवं आम सभा के लिए जिम्मेदार होगी।

4.4.5 विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद्:–

(क) विद्यालय से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने तथा आम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा द्वारा एक कार्यकारी परिषद् का गठन निर्वाचन के माध्यम से किया जायेगा। कार्यकारी परिषद् आम सभा द्वारा पारित बजट को खर्च करने के लिए पूर्णतया अधिकृत होगी तथा यह अपने कार्य के लिए आम सभा के प्रति उतरदायी होगी। यदि एक ही परिसर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, इण्टर कॉलेज संचालित हो रहे हों तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की एक ही आम सभा बनेगी। ऐसी स्थिति में दो उपाध्यक्षों का चुनाव आम सभा द्वारा किया जाएगा जिसमें से एक अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित होगा। इस प्रकार दोनो उपाध्यक्ष क्रमशः प्रारम्भिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के लिए अलग–अलग कार्यकारी परिषद का गठन आम सभा द्वारा करेंगे।

(ख) विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा के निर्वाचित अध्यक्ष व पदेन सदस्य सचिव कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष व सदस्य सचिव भी होंगे। सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय के स्थानीय वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि भी कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य होंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8) की स्थिति में वार्ड प्रतिनिधि के स्थान पर संबन्धित ग्राम पंचायत के

प्रधान अथवा उप–प्रधान भी कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य हो सकते हैं परन्तु स्थानीय निकाय से एक ही प्रतिनिधि होगा।

(ग) विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने के 30 दिन के भीतर अपनी प्रथम बैठक में अभिभावक सदस्यों में से कार्यकारी परिषद के सदस्यों का चुनाव करेगी। 60 अथवा कम छात्रों वाले स्कूलों में–9 निर्वाचित अभिभावक सदस्य, 61 से 180 छात्रों वाले स्कूलों में–11 निर्वाचित अभिभावक सदस्य, 181 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में –13 निर्वाचित सदस्य। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त सदस्यों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत महिलाएं हो तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बच्चों के अभिभावक यदि कार्यकारिणी में चुन कर नहीं आते तो इस स्थिति में उन्हें विशेष तौर पर आम सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। विद्यालय प्रबन्धन समिति किसी भी मामले में विचार–विमर्श/विशेषज्ञ परामर्श के लिए अतिरिक्त तौर पर किसी भी सदस्य को सहयोजित कर सकती है। (उदाहरण के तौर पर क्षेत्र के आंगनवाड़ी कर्मी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, क्षेत्र का कोई भी विख्यात शिक्षाविद्, क्षेत्र में कार्य कर रहा गैर सरकारी संगठन ,युवक मंडल, महिला मंडल, विद्यालय में कार्य कर रहा शिक्षक अथवा सेवानिवृत शिक्षक इत्यादि)। ये सदस्य विद्यालय प्रबंधन समिति में विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नही होगा।

(घ) पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम दो आमत्रित सदस्य उसके पोषक प्राथमिक विद्यालयों की कार्यकारी परिषद अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों के तौर पर प्रत्येक बैठक में शामिल होंगे। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में आंगनवाड़ी अथवा नजदीकी प्राथमिक विद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भाग लेंगे।

(ङ) कार्यकारी परिषद विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा द्वारा सौंपे गए कार्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी जिसके लिए नियमित मासिक बैठकों का आयोजन किया जायेगा। कार्यकारी परिषद प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार, अवकाश होने पर प्रथम शुक्रवार अथवा प्रथम सप्ताह में किसी कार्यदिवस को मध्याहन् भोजन के उपरान्त बैठक का आयोजन अनिवार्य रूप से करेगी। इस प्रकार की प्रत्येक बैठक का खर्च विद्यालय रखरखाव अनुदान से व्यय किया जाएगा। कार्यवाही रजिस्टर का रखरखाव सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा और उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में इसे रखा जाएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा इसकी जांच के लिए इसे उपलब्ध करवाया जा सकता।

(च) कार्यकारी परिषद का सदस्य सचिव प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को रजिस्टर में सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ रिकार्ड करेगा। निर्णय के प्रमुख बिन्दुओं को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश विद्यालय प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष बैठक कार्यवाही हेतु उपलब्ध न हों तो कार्यकारी समिति अपने सदस्यों में से किसी एक को बैठक की कार्यवाही करने हेतु अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुन सकती है। कार्यकारी समिति का कोरम न्यूनतम 50

प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगा। नियमित अध्यक्ष के आने पर इस प्रकार की गई कार्यवाही नियमित अध्यक्ष के अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

4.4.6 *विद्यालय प्रबंधन समिति की शक्तियाँ और कार्य :*

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अनुच्छेद 21 की धारा (2) के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेंगी–

A. विद्यालय के संचालन का पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन

B. विद्यालय विकास योजना को तैयार करना, संस्तुति देना एवं क्रियान्वयन

C. सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान के उपभोग का अनुश्रवण करना।

D. अन्य कार्यों का सम्पादन करना जो प्राविधानित किया गया हो।

E. विद्यालय प्रबन्धन समिति, विद्यालय विकास योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार होंगी।

तद्क्रम में अनुच्छेद 21 की धारा (2) की उपधारा (d) के प्राविधानों के अन्तर्गत स्कूल प्रबन्धन समिति अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से निम्नलिखित अन्य करने के लिए प्राधिकृत होगीः–

(क) शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु सभी बच्चों के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा ड्रॉप आउट रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(ख) विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि हेतु गुणात्मक सुधार के लिए कार्य करना तथा छात्रों के उपलब्धि स्तर का नियमित अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन का अनुश्रवण तथा छात्र प्रगति कार्ड की अभिभावकों के साथ समीक्षा तथा निदानात्मक शिक्षा हेतु कदम उठाना।

(ग) विद्यालय विकास योजना को तैयार कर लागू करना तथा उसका अनुश्रवण।

(घ) सरकार अथवा अन्य साधनों से प्राप्त अनुदान व आय का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना।

(ङ) निःशुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री, वर्दियां अथवा अनुदान व छात्रवृतियों को पात्र छात्रों को समय पर उपलब्ध करवाना।

(च) मध्याहन् भोजन योजना का कार्यान्वयन व अनुश्रवण तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।

(छ) विद्यालय के बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल और समुचित शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा स्कूल परिक्षेत्र और शौचालयों की नियमित सफाई व रख रखाव के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(ज) विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आयोजन करना तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड बनवाना।

(झ) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ञ) विद्यालयी एवं कक्षा कक्ष प्रक्रिया में शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।

(ट) छात्रों एवं अध्यापकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। विद्यालय प्रबन्धन समिति को अधिकार होगा कि वह अध्यापकों की अनुपस्थिति अथवा समयबद्धता न अपनाने के दृष्टान्तों को अध्यक्ष के माध्यम से प्रधानाध्यापक/उपखण्ड शिक्षाधिकारी/विकास खण्ड स्तर के शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध करें। प्रधानाध्यापक व उप खण्ड शिक्षा अधिकारी इस अनुरोध पर आवश्यक कार्यवाही करके संबधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगें। यदि आम सभा में बहुमत द्वारा एवं कार्यकारी परिषद में दो–तिहाई बहुमत से इस सन्दर्भ में कोई संस्तुति की जाती है तो विभागीय अधिकारी उस पर समयबद्ध कार्यवाही हेतु बाध्य होंगे। विभागीय अधिकारी द्वारा समय–समय पर संस्तुति का निराकरण न किये जाने की स्थिति में विद्यालय प्रबन्धन समिति इसकी लिखित सूचना/अपील निदेशालय विद्यालयी शिक्षा को कर सकेगा।

(ठ) विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा, दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्र में स्थित विद्यालय के यदि किसी अध्यापक के विद्यालय छात्रों के विकास में विशेष योगदान की प्रशंसा कर शैक्षणिक सत्र की अन्तिम बैठक में यह संस्तुति करती है कि उसका तबादला न किया जाए एवं सम्बन्धित अध्यापक की भी लिखित सहमति हो तथा आम सभा यह प्रस्ताव जिले स्तर के अधिकारी को भेजती है तो उस अध्यापक का अगले एक सत्र में तबादला उस विद्यालय से नहीं किया जायेगा। इस तरह के मामले परीक्षा परिणाम आने के बाद होने वाली बैठक में ही लिए जा सकते हैं, उसके अलावा किसी बैठक में ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते।

(ड) विद्यालय प्रबन्धन समिति अंशकालिक व संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्य की वार्षिक समीक्षा भी करेगी तथा अनुबन्ध का नवीनीकरण समिति की सिफारिश पर किया जायेगा।

(ढ़) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान करवाकर उन्हें समावेशी/समेकित शिक्षा के दायरे में लाना एवं विद्यालय में उनके ठहराव हेतु बाधामुक्त वातावरण सुनिश्चित करना।

(ण) विद्यालय में आयोजित सह– शैक्षिक कार्यक्रमों, बाल मेलों, विज्ञान प्रतियोगिताओं तथा खेलों में सहयोग देना एवं समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।

(त) बजट उपलब्धता के अनुरूप विद्यालय के लिए विभिन्न प्रकार की खरीद करना उदाहरणतः शिक्षण अधिगम उपकरण (टी.एल.ई.), फर्नीचर, स्टेशनरी और विद्यालय के लिए आवश्यक सामान, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, सरकारी योजनाओं के अनुरूप विद्यार्थियों के लिए लेखन सामग्री, विभिन्न प्रकार की किट, विद्यालय की वर्दी, कम्प्यूटर और इससे सम्बन्धित उपकरण इत्यादि।

(थ) विद्यालय भवन व अन्य सुविधाओं का निर्माण अथवा मरम्मत कार्य करना अथवा करवाना। विद्यालय प्रबंधन समिति को अधिकार होगा कि वह विभाग के निर्देशानुसार निर्माण अथवा मरम्मत

का कार्य स्वयं करें अथवा करवाएं। इसके लिए एक उपसमिति का गठन किया जा सकता है जिसमें सभी सदस्य अभिभावक ही होंगे, अथवा विद्यालय प्रबधंन समिति इसके लिए योग्य संस्था/पंचायत से भी अनुबन्ध कर सकती है।

(द) वार्षिक विद्यालय अनुदान तथा रख–रखाव अनुदान का नियमानुसार उपयोग भी विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से किया जायेगा। विद्यालय प्रबन्ध समिति आम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर उपलब्ध संसाधनों एवं अनुदानों का उपयोग कर इसकी सूचना, कारणों समेत सम्बन्धित विभाग को प्रेषित कर सकती है।

(ध) विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना एवं उसका समुचित उपयोग करवाना।

(न) यदि आवश्यक हो तो सरकार की नीति के अनुसार अंशकालिक/संविदा पर अध्यापकों का चयन व प्रबन्धन करना परन्तु विद्यालय प्रबन्धन समिति को प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना किसी भी अंशकालिक/संविदा पर किसी कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। यदि अनधिकृत रूप से अंशकालिक/संविदा पर किसी कार्मिक की नियुक्ति की जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष का होगा एवं इसकी सम्पूर्ण वसूली भी अध्यक्ष से ही की जायेगी। विद्यालय प्रबन्धन समिति यथा सम्भव शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति को रोकने का प्रयास करेगी।

(प) विद्यालय प्रबन्धन समिति की वार्षिक रिपोर्ट को आम सभा में प्रस्तुत करना तथा उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत तथा प्रधानाध्यापक को उपलब्ध करवाना।

(फ) सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट कार्यों को करना।

4.4.6 विद्यालय प्रबंधन समिति के वित्तीय संसाधन– विद्यालय प्रबंधन समिति के वितीय संसाधन निम्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं–

(क) सरकार से प्राप्त अनुदान, विद्यालय अनुदान, रखरखाव अनुदान, सहायता अनुदान, भवन निर्माण, शिक्षा अथवा सरकार द्वारा किए गए अन्य बजट आवंटन।

(ख) गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों से प्राप्त अनुदान।

(ग) अभिभावकों/समुदाय के सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक अनुदान।

(घ) मेलों अथवा अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिए विद्यालय परिसर के उपयोग की फीस राशि।

(ङ) विद्यालय प्रबंधन समिति की निधि का बैंक खाता अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से खोला जाएगा व संचालित होगा। प्रथम वार्षिक बैठक के उपरान्त अध्यक्ष के बदले जाने पर नए अध्यक्ष के हस्ताक्षर बैंक को सूचित किए जायेंगे।

(च) वार्षिक बजट आम सभा द्वारा पारित होगा तथा कार्यकारी परिषद को बजट प्रावधानों के अनुसार खर्च का पूरा अधिकार होगा। प्राप्त अनुदान का रिकार्ड नियमानुसार रखा जाएगा ।

(छ) खर्च का वार्षिक लेखा–जोखा आम सभा की बैठक के समक्ष सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा उक्त लेखा जोखा सोशल ऑडिट तथा सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा ऑडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ज) सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) वर्ष में कम से कम दो बार होगी जिसमें आम सभा की 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ये बैठकें आम सभा की निर्धारित बैठकों के अतिरिक्त होगी। विद्यालय प्रबन्धन समिति सामाजिक अंकेक्षण की बैठक आयोजित करने से 15 दिन पूर्व से ही इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी ताकि अधिकाधिक अभिभावकों की उपस्थिति हो सके।

4.4.8 विद्यालय विकास योजना का निर्माण– बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 के अनुच्छेद 22 की धारा (1) के अनुसार प्रत्येक विद्यालय प्रबन्धन समिति एक विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी जैसा कि प्राविधानित किया गया हो, साथ ही अधिनियम के अनुच्छेद 22 की धारा (2) के अनुसार अनुच्छेद 22 की धारा (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत तैयार की गयी विद्यालय विकास योजना ही सक्षम सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये योजनागत् एवं अन्य अनुदान का आधार होगी। अधिनियम के उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय विकास योजना का निर्माण निम्नवत् किया जायेगा–

- समिति विद्यालय विकास योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से न्यूनतम 03 माह पूर्व कर लेगी।
- विद्यालय विकास योजना 03 वर्ष की बनायी जायेगी उप योजना के रूप में 03 वार्षिक योजनाएं होंगी।
- विद्यालय विकास योजना के मुख्यतः दो भाग होंगे, पहला– अकादमिक एवं दूसरा– प्रबन्धकीय तथा इसमें निम्नांकित विवरण होंगे–

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित कक्षावार नामांकन।

(ख) विशिष्टीकृत मानकों के अनुरूप कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए पृथक–पृथक अध्यापक (प्रधानाध्यापक सहित) अतिरिक्त अध्यापक, विषय अध्यापक, अंशकालिक अध्यापकों की 03 वर्ष तक की अपेक्षित संख्या एवं व्यय का विवरण।

(ग) विशिष्टीकृत मानकों के अनुरूप 03 वर्षों में अतिरिक्त भौतिक आवश्यकताओं (भवन, उपकरण सम्बन्धी) आदि का विवरण।

(घ) उपरोक्त (ख) एवं (ग) में इंगित आवश्यकताओं के अतिरिक्त बच्चों हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं आयु संगत कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु 03 वर्ष के लिए वांछित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का वर्षवार विवरण होगा, जिसमें अन्य वित्तीय संसाधन, जो अधिनियम में उल्लिखित दायित्वों की पूर्ति हेतु विद्यालय के लिए अपेक्षित होंगे, का विवरण भी सम्मिलित किया जायेगा।

(ङ) सेवित क्षेत्रों में सर्वव्यापी नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु गतिविधियों एवं जिम्मेवारियों का निर्धारण एवं अनुमानित व्यय का विवरण।

(च) कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में सुधार एवं बच्चों को तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं व्यय का विवरण।

(छ) विद्यालय की शिक्षा पूर्ण कर निकलने वाले छात्रों की उच्च कक्षाओं में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने की दिशा में सार्थक पहल करना।

(ज) कार्यकारी परिषद एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के अन्य सदस्यों की निरन्तर क्षमता संवर्द्धन एवं आवश्यक सामुदायिक जागरूकता हेतु योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन।

(झ) सेवित क्षेत्रों में स्थायी/अस्थायी रूप से रह रहे लक्ष्य समूह के बच्चों की पहचान (ट्रेकिंग) एवं उनकी प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में निरन्तर प्रयास करना।

(ञ) विद्यालय में नामांकित बच्चों को सम्मान एवं विद्यालयी प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "बाल समूह" का गठन, बाल समूह के कार्य, दायित्व व गतिविधियों का बच्चों की सहमति से निर्धारण एवं व्यय का विवरण, "बाल समूह" के गठन का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों का संरक्षण एवं बच्चों को अपने अधिकारों एवं विद्यालयी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक बनाना होगा।

(ट) विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हो कर स्थानीय प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी के पास उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत कर दी जायेगी जिसमें वह निरूपित की गयी है।

4.4.9 प्रशिक्षण–

राज्य सरकार/शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जायेगा ताकि उनकी क्षमताओं का विद्यालय के प्रबन्धन में अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। साथ ही सामुदायिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण हेतु अभियानों का आयोजन एवं प्रबन्धन किया जाएगा।

4.4.10 प्रोत्साहन–

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली विद्यालय प्रबन्धन समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एक प्रोत्साहन योजना बनायेगा तथा इन समितियों को खण्ड व जिला स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

4.4.11 विविध–

(क) प्रदेश सरकार को अधिकार होगा कि वह समय–समय पर विद्यालय प्रबन्धन समिति के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगी।

(ख) विद्यालय प्रबन्धन समिति अधिसूचित होने के उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रहे स्कूलों में कार्यरत ग्रामीण शिक्षा समितियां/मातृ–अध्यापक संघ या अभिभावक अध्यापक संघ

विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन के उपरान्त कार्य करना बन्द कर देंगे तथा इनके द्वारा किए जा रहे कार्य विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा किए जायेंगे।

भाग–5– अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता–

5.1.1 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था द्वारा अध्यापकों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अनुच्छेद 2 की धारा (एन) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों पर प्रभावी होगी।

5.1.2 न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट–

(क) बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के 6 माह के अन्दर अनुच्छेद 2 की धारा (एन) में निर्दिष्ट राज्य के समस्त विद्यालयों हेतु अनुसूची में उल्लिखित मानकों के अनुसार अपेक्षित अध्यापकों की संख्या का आगणन दिनाँक 30 सितम्बर, 2010 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(ख) यदि उपनियम 5.1.2 (क) के अनुसार आगणित संख्या में निर्धारित अर्हताधारी अध्यापक उपलब्ध न हो तो राज्य सरकार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट के सम्बन्ध में भारत सरकार से दिनाँक 31 मार्च, 2011 तक अनुरोध करेगी।

(ग) उपनियम 5.1.2 (ख) के अन्तर्गत उल्लिखित राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट दिये जाने की अधिसूचना जारी किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(घ) किन्तु यह छूट अधिनियम लागू होने के अधिकतम 05 वर्ष तक अर्थात् दिनाँक 31 मार्च, 2015 तक ही रहेगी। इस अवधि में ही छूट की शर्तों के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक को नियम 5.1.1 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करनी होगी।

(ङ) उपरोक्त उपनियम 5.1.2 (ग) में उल्लिखित अधिसूचना के अभाव में दिनाँक 30 सितम्बर, 2010 के बाद नियम 5.1.1 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को पूर्ण न करने वाले किसी व्यक्ति को किसी विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

5.1.3 न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का उपार्जन–

(क) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन एवं नियन्त्रित विद्यालयों तथा विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों के वे समस्त अध्यापक, जो उपरोक्त नियम 5.1.1 में निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं, द्वारा अधिनियम के लागू होने के 05 वर्ष के अन्दर उक्त निर्धारित अर्हता प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था से अध्यापक प्रशिक्षण की क्षमता वृद्वि एवं दूरस्थ माध्यम से अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यक सुविधा हेतु अनुरोध करेगी तथा अपेक्षानुसार उक्त सुविधाओं का अनुमोदन प्राप्त होने पर ऐसे समस्त अध्यापकों के प्रशिक्षण का उपक्रम करेगी।

(ख) निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा संचालित सहायता प्राप्त एवं असहायता प्राप्त विद्यालयों के जो अध्यापक उपरोक्त नियम 5.1.1 में निर्धारित अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं, उनके सम्बन्ध में, उस सम्बन्धित विद्यालय का प्रबन्धतन्त्र अधिनियम के पारित होने के 05 वर्ष के अन्तर्गत ऐसे अध्यापकों को निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने का अवसर देगा।

5.1.4 अध्यापकों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्ते– विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें सम्बन्धित सेवा नियमावली से शासित होंगी।

5.1.5 अध्यापकों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्य–

(क) विद्यालय में समय से एवं नियमित उपस्थिति, नियमित शिक्षण कार्य तथा निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के सम्बन्ध में अध्यापक स्थानीय प्राधिकारी एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(ख) अध्यापक प्रत्येक बच्चे की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, उसकी सीखने की क्षमता तथा प्रगति का अनुश्रवण करेगा।

(ग) अध्यापक विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यों के निर्वहन में यथापेक्षित सहयोग देगा।

(घ) स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्रान्तर्गत समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने में अध्यापक स्थानीय प्राधिकारी को यथापेक्षित सहयोग देगा।

(ङ) बच्चे के ज्ञान की समझ एवं ज्ञान के अनुप्रयोग में उसकी क्षमता की जांच एवं सतत् मूल्यांकन हेतु अध्यापक प्रत्येक बच्चे के छात्र संचयी अभिलेख हेतु प्रोफाइल तैयार करेगा तथा उसके आधार पर बच्चे को कक्षा की पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(च) इसके अतिरिक्त नियमित शिक्षण कार्य बाधित किये बिना अध्यापक द्वारा निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे :–

- प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना।
- पाठ्यचर्या की संरचना, पाठ्यक्रम का विकास , प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्य पुस्तकों के विकास में प्रतिभाग करना।

5.1.6 अध्यापकों की समस्या निवारण की व्यवस्था– अध्यापकों की समस्या निवारण की व्यवस्था अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति/स्थानीय प्राधिकारी के स्तर पर होगी।

5.1.6 प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात सुनिश्चित करना

(क) जिला शिक्षाधिकारी अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या अधिनियम के प्रवृत्त होने के 03 माह के अन्दर अर्थात् दिनाँक 30 जून, 2010 तक अधिसूचित करेगा। उक्त अधिसूचना जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा विद्यालय की निर्धारित अध्यापक संख्या सम्बन्धित विद्यालय को एवं सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी सूचित की जायेगी, साथ ही, उपनियम 5.1.7 (क)) में निर्दिष्ट अधिसूचना के जारी होने के 03 माह के अन्दर जिलाधिकारी उन विद्यालयों के अध्यापकों का समायोजन करेगा जहाँ उपरोक्त अधिसूचना जारी होने के पूर्व अध्यापकों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक रही हो।

(ख) जिला शिक्षाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के पूर्व निर्धारित छात्र अध्यापक अनुपात को बनाये रखने हेतु विद्यालय की निर्धारित अध्यापक संख्या का पुनरीक्षण किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों का समायोजन किया जायेगा।

(ग) अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित छात्र अध्यापक अनुपात को बनाये रखने के उद्देश्य से किसी विद्यालय में पदस्थित कोई अध्यापक किसी अन्य विद्यालय, कार्यालय अथवा किसी अशैक्षणिक गतिविधि, जो दशकीय जनगणना, आपदा राहत कार्य अथवा संसद, विधान मंडल या स्थानीय निकाय सम्बन्धी चुनाव कार्य से इतर हो, में नहीं लगाया जायेगा।

(घ) यदि कोई अध्यापक निजी शिक्षण अथवा प्राइवेट ट्यूशन में लिप्त पाया गया तो सम्बन्धित सेवा नियमावली के प्राविधान के अनुसार उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अनूसूची

(धारा 19 एवं 25 देखें)
विद्यालय हेतु नियम एवं मानक

क्र0सं0	विवरण	नियम एवं मानक	
1.	**अध्यापकों की संख्या**	नांमाकित छात्र संख्या	अध्यापकों की संख्या
(a)	**कक्षा 1 से कक्षा 5 तक**	60 तक 61 से 90 तक 91 से 120 तक 121 से 200 तक 150 से अधिक छात्र संख्या पर 200 से अधिक छात्र संख्या पर	2 (दो) 3 (तीन) 4 (चार) 5 (पाँच) 5 (पाँच) एवं एक प्रधानाध्यापक शिक्षक–छात्र अनुपात 1:40 से अधिक न हो (प्रधानाध्यापक छोड़कर)
(b)	**कक्षा 6 से 8 तक**	(1) कम से कम प्रत्येक कक्षा के लिये 1 (एक) अध्यापक ताकि प्रत्येक विषय के लिए निम्नानुसार हो। **I.** विज्ञान एवं गणित **II.** सामाजिक अध्ययन **III.** भाषा (2) कम से कम 35 (पैंतीस) छात्रों पर एक अध्यापक (3) जहाँ 100 (सौ) से अधिक छात्र नामांकित हो। **(i)** एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक **(ii)** अंशकालिक अनुदेशक निम्नानुसार (**A**) कला शिक्षण **(B)** स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा **(c)** कार्य अनुभव	
2.	**भवन**	सभी मौसम हेतु अनुकूल भवन जो **(i)** कम से कम प्रत्येक अध्यापक के लिए एक शिक्षण कक्ष एवं एक प्रधानाध्यापक कक्ष–कम–गोदाम–कम कार्यालय कक्ष। **(ii)** सुगम पहुँच/बाधामुक्त पहुँच। **(iii)** बालक एवं बालिका हेतु अलग– अलग शौचालय। **(iv)** सभी बच्चों हेतु सुलभ एवं सुरक्षित पर्याप्त पीने योग्य पानी की व्यवस्था। **(v)** रसोईघर जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जा सके। **(vi)** खेल का मैदान। **(vii)**विद्यालय भवन, सुरक्षा हेतु सीमा दीवार (चहारदीवारी) अथवा बाड़े की व्यवस्था।	
3.	**एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घण्टों की न्यूनतम संख्या**	**(i)** कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 200 कार्य दिवस। **(ii)** कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 220 कार्य दिवस। **(iii)** कक्षा 1 से कक्षा 5 तक प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 धण्टे। **(iv)** कक्षा 6 से 8 तक प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 घण्टे।	
4.	**शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्यघण्टों की न्यूनतम संख्या**	45 घण्टे (शिक्षण एवं तैयारी घण्टे)	
5.	**शिक्षण अधिगम उपकरण**	प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध कराये जायेंगे।	
6.	**पुस्तकालय**	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार–पत्र, पत्रिकायें और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी।	
7.	**खेल–सामग्री, खेल और क्रीडा सामग्री**	प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध कराये जायेंगे।	

अध्याय– 5

प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या और उसका पूरा किया जाना

भाग–1:– पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया–

5.1.1 अधिनियम की धारा 29 के प्रयोजन हेतु प्रारम्भिक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन विधि का निर्धारण अकादमिक प्राधिकारी/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाएगा।

5.1.2 अकादमिक प्राधिकारी अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन विधि को अभिकथित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा–

(क) संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता।

(ख) बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल।

(ग) बच्चे के ज्ञान, अन्तः शक्ति एवं मानसिक योग्यताओं का विकास।

(घ) पूर्णतम सीमा तक शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का विकास।

(ङ) बाल अनुकूल एवं बाल केन्द्रित रीति में क्रियाकलापों एवं खोज के द्वारा शिक्षण।

(च) कक्षा–कक्ष प्रक्रिया का माध्यम, जहाँ तक साध्य हो बच्चों की मातृ भाषा में होगा।

(छ) बच्चों को भयमुक्त मानसिक, अभिघात मुक्त एवं चिन्तामुक्त बनाना और बच्चों को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना।

(ज) बच्चों की समझने की शक्ति एवं उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन।

(झ) विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को मुख्य धारा में शामिल कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण का स्थानीयता आधारित स्वरूप तैयार करना एवं इसके सफल क्रियान्वयन की रणनीति बनाना।

5.1.3 अकादमिक प्राधिकारी/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आन्तरिक एवं बाह्य संस्थाओं के माध्यम से समग्र रूप से विद्यालयी गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु रूपरेखा एवं प्रक्रिया तैयार करेगी।

5.1.4 अकादमिक प्राधिकारी द्वारा निर्मित पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु इत्यादि के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी की होगी।

5.1.5 व्यक्ति एवं संस्थान हेतु निष्पत्ति सूचकांकों के विकास के साथ–साथ बच्चों के अधिगम स्तर हेतु उत्तरदायी मानकों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन।

5.1.6 बच्चों के अधिगम प्रमाणों, पाठ्यचर्या, योजनाएँ, कार्यक्रमों से सम्बन्धित अध्ययन या अनुसंधान करना एवं सम्बन्धित विभाग को संस्तुति देना।

5.1.7 राज्य सरकारी, अनुदानित एवं गैर अनुदानित प्रारम्भिक विद्यालयों के बच्चों की अधिगम निष्पत्ति के अनुश्रवण हेतु अधिकारी की नियुक्ति करेगा। नियुक्त अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह मूल्यांकन उपकरण के माध्यम से किये गये सर्वेक्षण के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता पर वार्षिक स्थिति पत्रक का प्रकाशन करेगा।

5.1.8 पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकों में दिये गये दिशा निर्देशों में विद्यालयों को इस बात की पूर्ण स्वायत्तता देने का उल्लेख होगा, जिसमें वे अपनी स्थानीयता एवं विशिष्टता के अनुसार गुणात्मक शिक्षा हेतु शिक्षण विधि या स्थानीय अध्ययन सामग्री का भी चयन कर सके। यह प्रयोगों एवं नवाचारों को बढ़ावा देगा।

भाग–2:– प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र–

5.2.1 किसी बच्चे से प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5.2.2 प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र विद्यालय स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के एक माह के अन्दर विद्यालय द्वारा प्रपत्र–IV निर्गत किया जाएगा। परन्तु निजी संस्थाओं द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर उनको आवंटित मानक पंजीकरण संख्या भी स्पष्ट रूप से उनके द्वारा अंकित की जाएगी।

5.2.3 प्रमाण–पत्र में बच्चे का क्रमागत अभिलेख उल्लिखित होगा साथ ही निर्धारित अध्ययन के अतिरिक्त बच्चे की अन्य क्षेत्रों की गतिविधियों का भी उल्लेख होगा। यथा– संगीत, नृत्य, साहित्य, खेल–कूद व अन्य।

5.2.4 अकादमिक प्राधिकारी निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र हेतु प्रपत्र का निर्माण करेगा, जिसमें बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्रों का उल्लेख होगा। इस प्रारूप को सभी विद्यालयों तक पहुँचाने का दायित्व भी सम्बन्धित जिला शिक्षाधिकारी का होगा।

अध्याय– 6

बालकों के अधिकारों का संरक्षण

भाग–1:– धारा–31 के प्रयोजन हेतु व्यवस्था के लिये

6.1.1 जब तक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होता है, तब तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में दिनांक.....अथवा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की तिथि, जो भी पहले हो, तक शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

6.1.2 शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0इ0पी0ए0) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः–

(क) अध्यक्ष, जो उच्च कोटि का प्रतिष्ठित विद्वान अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा जिसके द्वारा बाल अधिकार के उन्नयन हेतु उत्कृष्ट कार्य किया गया हो।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में ख्याति, योग्यता, सत्यनिष्ठा एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से दो सदस्य, जिनमें एक महिला होगी–

- शिक्षा।
- बाल स्वास्थ्य देखभाल और बाल विकास।
- किशोर न्याय अथवा विकलांग बच्चों/वंचित और उपेक्षित बच्चों की देखभाल।
- बाल श्रम उन्मूलन अथवा दीन–हीन बच्चों के साथ कार्य।
- बाल मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र।
- शैक्षिक अथवा प्रशासनिक प्रबन्धन।

6.1.3 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2006 के नियम व शर्ते उसी रूप मे शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0इ0पी0ए0) पर भी लागू होंगी।

6.1.4 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तत्काल बाद शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के सभी अभिलेख और परिसम्पत्तियाँ उक्त आयोग को स्थानान्तरित कर दी जायेंगी।

6.1.5 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथा स्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अपने कार्यों के निर्वहन में राज्य सलाहकार परिषद् द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर भी कार्यवाही कर सकते हैं।

6.1.6 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में राज्य सरकार एक प्रकोष्ठ का गठन करेगी जो इन्हें अपने कार्यों में सहायता देने का काम करेगी।

भाग–2:– राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के सम्मुख शिकायतें प्रस्तुत करने की प्रक्रिया–

6.2.1 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाल हेल्पलाइन स्थापित की जायेगी जो पत्र/दूरभाष/एस0एम0एस0 के माध्यम से सर्व सुलभ होगी तथा जिसके माध्यम से पीड़ित बच्चा/अभिभावक अधिनियम में विहित अधिकार के उल्लंघन के सम्बन्ध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता की पहचान अभिलिखित की जायेगी किन्तु उसे प्रकट नहीं किया जायेगा।

6.2.2 बाल हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों का क्रियापरक, पारदर्शी अनुश्रवण ऑनलाइन किये जाने की व्यवस्था होगी।

6.2.3 अधिनियम में विहित बच्चे के अधिकार के सम्बन्ध में पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के स्थानीय प्राधिकारी से शिकायत किये जाने पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भी शिकायत के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य किया जायेगा।

भाग–3– धारा 34 के प्रयोजन हेतु राज्य सलाहकार परिषद् का गठन एवं कार्य–

6.3.1 राज्य सलाहकार परिषद में 14 सदस्य एवं एक अध्यक्ष सम्मिलित होंगे।

6.3.2 राज्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग के मन्त्री, परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे।

6.3.3 प्रारम्भिक शिक्षा एवं बाल विकास का ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति निम्नवत् की जायेगी:–

(क) कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी एवं अल्पसंख्यक वर्ग में से एक–एक होंगे।

(ख) एक सदस्य, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के सन्दर्भ में विशिष्ट ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखता हो।

(ग) एक सदस्य, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखता हो।

(घ) एक सदस्य अध्यापक–शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखता हो।

(ङ•) प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले किसी गैर सरकारी, ख्याति प्राप्ति संस्था का एक प्रतिनिधि।

(च) निदेशक विद्यालयी शिक्षा परिषद् का सदस्य–संयोजक होगा एवं अपर शिक्षा निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तथा राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् के पदेन सदस्य होंगे।

(छ) पदेन सदस्यों से इतर सदस्यों में 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होंगी।

6.3.4 विद्यालयी शिक्षा विभाग, परिषद की बैठकों एवं इसके अन्य कार्यों के लिए व्यवस्थागत सहयोग करेगा।

6.3.5 परिषद् के कार्य सम्पादन की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

(क) परिषद् नियमित रूप से बैठक करेगी, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाये, परन्तु पिछली व आगामी बैठकों का अन्तराल 03 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(ख) परिषद् की बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जायेगी। यदि किसी कारण से अध्यक्ष परिषद् की बैठक मे प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं तो वह परिषद् के किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता हेतु नामित कर सकते हैं। कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में परिषद् की बैठक का कोरम (गणपूर्ति) पूर्ण माना जायेगा।

6.3.6 परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियम व शर्ते निम्नवत् होंगीः–

(क) प्रत्येक सदस्य पदधारण की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी सदस्य दो बार से अधिक पद धारण नहीं कर सकेगा।

(ख) सिद्ध दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता अथवा निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किसी सदस्य को हटाया जा सकता हैः–

- यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो, या
- कार्य करने से मना किया हो, या कार्य करने में अक्षम हो, या
- सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से असन्तुलित घोषित किया गया हो, या
- कार्यालय में बने रहने के लिए अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना जनहित में घातक हो, या
- किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया हो, या
- परिषद की अनुमति प्राप्त किये बिना परिषद् की दो लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(ग) कोई भी सदस्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना अपने पद से हटाया नहीं जायेगा।

(घ) यदि त्यागपत्र, मृत्यु, अथवा अन्य कारणों से सदस्यों का कोई पद रिक्त होता है तो ऐसी रिक्ति उपनियम 6.3.6 (ख)) के अनुसार रिक्ति की तिथि से 120 दिन के अन्दर नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी

(ङ) परिषद के सदस्य सरकारी यात्रा हेतु यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों की प्रतिपूर्ति हेतु, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समितियों और आयोगों के अशासकीय सदस्यों हेतु और इसी श्रेणी के अन्य व्यक्तियों हेतु निर्गत आदेशों के अनुरूप, पात्र होंगें।

6.3.7 राज्य सलाहकार परिषद अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावशाली रूप में अनुपालन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देगी।

अध्याय– 7

विविध

भाग–1– निर्देश जारी करने की शक्ति–

7.1.1 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, इस अधिनियम के नीति सम्बन्धी उपबन्धों को छोड़कर, अन्य उपबन्धों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में यथा स्थिति पर स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबन्धन समिति के लिए समय–समय पर ऐसे दिशा निर्देश जारी कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठीक समझे।

भाग–2– अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति–

7.2.1 शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अनुच्छेद 13 की धारा 2, अनुच्छेद 18 की धारा 5 तथा अनुच्छेद 19 की धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए कोई अभियोजन निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी/समिति की पूर्व स्वीकृति से ही संस्थित की जाएगी अन्यथा नहीं।

परिशिष्ट

अनुलग्नक

प्रपत्र–1

विद्यालय की स्वीकृति हेतु स्वघोषणा–सह–आवेदन पत्र

(बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम नियमावली, 2010 के नियम 4.2.1 को देखें)

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,

जनपद–,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

उत्तराखण्ड।

महोदय,

बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 की अनुसूची में वर्णित मानक एवं मापदण्ड के आलोक में मैं एक स्वघोषणा करता/करती हूँ एवं विहित प्रपत्र में (विद्यालय का नाम एवं पता)..... की स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित कर रहा/रही हूँ।

भवदीय

अनुलग्नकों का विवरणः

स्थानः **दिनांकः**

प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष/व्यवस्थापक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्वघोषणा–प्रपत्र

(क)	विद्यालय–विवरण	
1	विद्यालय का नाम	
2	शैक्षिक सत्र	
3	जनपद	
4	पत्राचार का पता	
5	गाँव/नगर	
6	तहसील	
7	पिन कोड	
8	दूरभाष सं0 एस0टी0डी0 कोड के साथ	
9	फैक्स न0	
10	ई–मेल पता	
11	निकटतम पुलिस स्टेशन	

(ख)	सामान्य सूचनाएँ			
1	स्थापना का वर्ष			
2	पहली बार विद्यालय प्रारम्भ होने की तिथि			
3	ट्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति का नाम			
4	क्या ट्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति पंजीकृत है?			
5	ट्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति के पंजीकरण की वैधता अवधि			
6	क्या ट्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति के गैर मालिकाना एवं अलाभकारी स्वरूप की पुष्टि हेतु सदस्यों की सूची एवं पता शपथ पत्र के रूप में संलग्न है? (संलग्न संख्या– .....)			
7	विद्यालय के सचिव/अध्यक्ष/प्रबन्धक के कार्यालय का पता			
	नाम			
	पदनाम			
	पता			
	दूरभाष (कार्यालय एवं आवास)			
	ई–मेल एवं फैक्स संख्या			
8	अन्तिम तीन वर्षों के कुल आय एवं व्यय (बचत/घाटा)			
	वर्ष	**आय**	**व्यय**	**बचत/घाटा**

(ग)	विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र	
1	शिक्षण का माध्यम	
2	विद्यालय का प्रकार (प्रारम्भिक एवं अन्तिम कक्षा का उल्लेख करें)	
3	यदि सहायता प्राप्त है, तो सहायता प्रदत्त करने वाली संस्था का नाम एवं सहायता का प्रतिशत	
4	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है	
5	यदि हाँ, तो किस प्राधिकार द्वारा पंजीकरण संख्या भी लिखें	
6	क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या यह किसी किराये के भवन में संचालित है?	
7	क्या विद्यालय भवन/अन्य आधारभूत संरचाएँ/मैदान केवल शिक्षा और कौशल के विकास के लिए उपयोग की जाती हैं?	
8	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9	निर्मित भवन का क्षेत्रफल	
10	विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या–क्या सुविधाएँ/संरचनाएँ है?	
11	क्या राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा विद्यालय को रियायती दर पर भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाएँ प्राप्त होने के कुछ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? तो अभिलेख संलग्न करें	
12	यदि हाँ, तो अभिलेख संलग्न करें (संलग्नक संख्या .....)	

(घ)	नामांकन की स्थित			
	वर्ग	अनुभाग की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	छात्र शिक्षक अनुपात
1	पूर्व प्राथमिक			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

(च)	आधारभूत संरचना का विवरण एवं स्थित		
	कक्षा	संख्या	औसत आकार
1	कक्षा–कक्ष		
2	कार्यालय कक्ष		
3	भंडार कक्ष		
4	प्रधानाध्यापक कक्ष		
5	प्रयोगशाला कक्ष		
6	कम्प्यूटर कक्ष		
7	रसोईघर–सह–भंडार		
8	मैदान		

(छ)	अन्य सुविधाएँ	
1	क्या सभी सुविधायें अवरोध रहित पहुँच के अन्तर्गत हैं	
2	शिक्षा अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें) संलग्नकों की संख्या–	
3	खेल–कूद सामग्री (सूची संलग्न करें) संलग्नकों की संख्या–	
4	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा पुस्तकों की संख्या पत्रिकाएँ/समाचार पत्र	
5	शिक्षकों हेतु संदर्भ सामग्री	
6	प्रयोगशाला उपकरण	
7	कम्प्यूटर संख्या	
8	पेयजल सुविधा के प्रकार एवं संख्या–टैंक संख्या, बिजली व्यवस्था	
9	स्वच्छता की स्थिति	
	1. डब्लू0सी0 और शौचालय का प्रकार	
	2. बालको के लिए अलग शौचालय की संख्या	
	3. बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की संख्या	
	4. निःशक्त बच्चों के लिए व्यवस्था	
10	निःशक्त बच्चों हेतु व्यवस्था	
	1. रैम्प एवं रेलिंग	
	2. दीवारों पर खुरदुरी पट्टी अन्य	
11	अग्नि से बचाव से व्यवस्था	

(ज)	काष्ठोपकरण एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति									
	कक्षावार उपलब्धता की स्थिति									
		पूर्व प्राथमिक	1	2	3	4	5	6	7	8
1	फर्नीचर–कुर्सी/बैंच/डेस्क									
2	दरी									
3	शिक्षकों हेतु फर्नीचर/दरी									
4	बोर्ड									
5	बाल श्यामपट्ट									
6	कूड़ादान									
7	शीशा									
8	पंखे									
9	बल्ब									
10	नोटिस बोर्ड									
11	बुलेटन बोर्ड									

(झ)	शिक्षकों का विवरण		
1	केवल प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों का विवरण (प्रत्येक शिक्षक के लिए अलग–अलग)		
	शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति/पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
	शैक्षिक योग्यता (4)	प्रशिक्षण योग्यता (5)	शैक्षणिक अनुभव (6)
	किन कक्षाओं में पढ़ाते हैं (7)	नियुक्ति की तिथि (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2	प्रधान अध्यापक		
	शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति/पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
	शैक्षिक योग्यता (4)	प्रशिक्षण योग्यता (5)	शैक्षणिक अनुभव (6)
	कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं (7)	नियुक्ति की तिथि (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

1 एवं 2 के मामले में यथा उपयुक्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें। (संलग्नक संख्या)

(ट)	कक्षा वार प्रतिछात्र शुल्क(सभी तरह के शुल्कों का योग–अधिकतम)								
कक्षा	पूर्व प्राथमक	1	2	3	4	5	6	7	8
अधिकतम शुल्क									

नोटः– घोषित राशि से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

(ठ). निकटवर्ती सेवित क्षेत्र का विवरण–(धारा–12 c की प्रतिपूर्ति हेतु)

नोटः– प्राथमिक विद्यालय हेतु 01 किमी0 की परिधि व उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 03 किमी0 की परिधि का मानचित्र वार्ड/तोक/मोहल्ला दर्शाते हुए संलग्न करें।

(ञ)	पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम	
1	पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का विवरण, जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है (वर्ग 8 तक)	
2	छात्रों के आकलन की पद्धति (फोमिटिव एवं समेटिव आकलन)	
3	क्या विद्यालय के छात्रों को कक्षा–5 या कक्षा–8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है?	

ड. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा सूचनाओं को जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डायस) में समर्पित किया गया है।

ढ़ प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय किसी भी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, से निरीक्षण के लिए तैयार है।

त प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालयी, शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर माँगे जाने वाले प्रतिवेदन एवं सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा एवं उचित प्राधिकार द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा, उसका अनुपालन कर विद्यालय की मान्यता के निर्धारित मापदण्ड को पूरा करने एवं विद्यालय के क्रियाकलाप में विद्यमान कमियों को दूर करने हेतु निरंतर प्रयास करेगा।

थ प्रमाणित किया जाता हे कि विद्यालय द्वारा इस अधिनियम के लिए आवश्यक अभिलेख वैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हों, को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और विद्यालय उन सभी सूचनाओं को उपलब्ध करायेगा, जिससे केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय या प्रशासन को संसद/राज्य के विधान सभा/पंचायत/नगर निगम (जो भी लागू हो) के प्रति जवाबदेही को निर्वहन करने में सक्षम होगा।

द मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे संज्ञान में सही हैं।

ह0/–
प्रबंधन समिति के अध्यक्ष
व्यवस्थापक

प्रपत्र–II

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

पत्रांकः– **दिनांक.....**

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

विषयः **बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 की धारा 18–1 के प्रयोजनार्थ बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 के अध्याय 4 के नियम 4.2.4 के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक .....और उसके क्रम में आपसेकिये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ..... (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता), ... कक्षा से ..... तक संचालन हेतु तीन वर्षों . ..... से ..... अवधि के लिए औपबंधिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी–

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा–8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 तथा उत्तराखण्ड राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता त प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त बच्चों के मामले में ..... विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा b के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता / अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को अध्याय 5 के नियम–5.2.2 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम के अनुच्छेद 23 की धारा–1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

(vii) शिक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 24 की धारा–1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (टयूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एव पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की अनुच्छेद 19 के प्रावधानो के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 19 में उद्धत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा–

- विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल,
- कुल निर्मित क्षेत्र,
- खेल के मैदान का क्षेत्र,
- कक्षा–कक्षों की कुल संख्या,
- प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष,

- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय,
- पेयजल की सुविधा,
- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर,
- बाधारहित पहुँच,
- शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या..... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाए।
17. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती हैं तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
20. परिशिष्ट–III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी

परिशिष्ट–III

मान्यता हेतु शर्तें

मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है–

1. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
2. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
3. विद्यालय संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों के प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। (समता, समानता, न्याय, पंथ–निरपेक्षता आदि)
4. विद्यालय राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु अधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण कराने को बाध्य होगा।
5. विद्यालय के भवन एवं परिसर तथा अन्य संरचनाओं का प्रयोग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
6. विद्यालय भवन, परिसर तथा अन्य संरचनाओं एवं सम्पदाओं का उपयोग व्यावसायिक अथवा निजी कार्यों एवं हितों हेतु नहीं किया जाएगा।
7. विद्यालय निदेशक, विद्यालयी शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को समय–समय पर ऐसे प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा, जिनकी आवश्यकता विद्यालय की मान्यता के नवीनीकरण के लिए होगी।
8. विद्यालय राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के स्तर से मान्यता की शर्तों की नियमित पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कमियों/कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत किए गए निर्देशों का पालन करने को बाध्य होगा।
9. विद्यालय को बच्चो के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम–2009 के अनुच्छेद 19 के द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदण्ड़ों को बनाए रखने की बाध्यता होगी।
10. विद्यालय अपने क्षेत्र में आने वाले कमजोर, अपवंचित व निःशक्त समूहों के बच्चों को विद्यालय की प्रथम प्रविष्ट कक्षा में कुल कक्षा नामांकन के कम से कम 25 प्रतिशत तक प्रवेश देने हेतु बाध्य होगा।
11. यदि किसी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जाती हों, तो इन बच्चों के नामांकन के 25 प्रतिशत बच्चे कमजोर, अपवंचित व निःशक्त समूहों के बच्चों को प्रवेश देना बाध्यकारी होगा।

12. वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालय अपने वार्षिक आवर्ती अनुदान का न्यूनतम 25 प्रतिशत व्यय निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पर करने हेतु बाध्य होगा।

13. विद्यालय प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र के आरम्भ से पूर्व विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण जिला शिक्षा अधिकारी को देने के लिए बाध्य होगा।

14. विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अनुपालन करने हेतु बाध्य होगा।

15. मान्यता की शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

प्रपत्र–IV

..... (विद्यालय का नाम)

जनपदः– ..... उत्तराखण्ड

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्री ..... पुत्री/पुत्र श्रीमती ..... एवं श्री ..... निवासी .... जिनकी जन्म तिथि ..... है, ने इस विद्यालय में शैक्षिक सत्र ..... से शैक्षिक सत्र ..... तक अध्ययन किया है। उक्त विद्यार्थी ने प्रारम्भिक शिक्षा वर्ष ..... में पूर्ण की है।?

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विद्यार्थी ने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा–29 के अनुसार निर्धारित पाठ्यचर्या को सफलता पूर्वक पूर्ण किया है।

तिथिः–

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक
विद्यालय की मुहर
मान्यता क्रमांक